

109



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2017

I/नगरजी शिवपुरी/भू.प्र. 2017/2868

कल्याण पुत्र रामचरण न्याय
निवासी- ग्राम बैराढ़ तहसील बैराढ़
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

---आवेदक

विरोध भागवत श्री
23-8-17

विरुद्ध

सतीष प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री
मुरलीधर श्रीवास्तव, निवासी- हनुमन्त
निवास 2-बी अशोक कॉलोनी,
खासगी बाजार लखवर ग्वालियर (म.प्र.)

---अनावेदक

23-8-17

न्यायालय तहसीलदार, तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी
द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 29/07/2017 एवं अग्रिम
कर्यावाही के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भांगी
एडवोकेट
ग्वालियर
23-08-2017

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, ग्राम बैराढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2953/1 एवं 2947/2 आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियां हैं। आवेदक ने वर्ष 2014 में अपनी भूमियों का सीमांकन कराया था तदनुसार आवेदक अपने स्वत्व की भूमियों पर काबिज दखल चला रहा है। इसका अनावेदक की किसी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।
2. यहकि, अनावेदक द्वारा तहसील महोदय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अधीन आवेदन किया कि उसने अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 2955/1 का सीमांकन कराया था जिस पर आवेदक का लगभग 40 हे. पर अवैध कब्जा पाया गया है एवं उसने सीमांकन मुक्तिपत्र उखाड़ फेंक दी है। अतः उसे कब्जा दिया जाये।
3. यहकि, तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना मात्र तामील कराने वाले गैर रिपोर्ट कि तामील लेने से इन्कार करने पर मकान पर चस्था किया गया, इस आधार पर दिनांक 12/07/2017 को कब्जा दिलाये जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2868

कल्याण विरुद्ध सतीष प्रकाश श्रीवास्तव

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा
दिनांक:

17/6/19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बैराढ़, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-6/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 29/7/17 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।



(आर०के० जैन) 17/6/19
सदस्य